| आदेश की सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख |
|---|---|---|
| 13.08.2019 | | |

# न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

## सेवा अपील वाद संख्या-78/2018

1. नूरजहाँ बेगम, पति-मो० आलमगीर, सा०-कोचैली, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णिया।

........................ अपीलार्थी

## बनाम

1. जिला प्राग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया।
2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डगरूआ।
3. महिला पर्यवेक्षिका -सह- चयन समिति, सचिव।
4. वार्ड सदस्य -सह- चयन समिति अध्यक्ष, वार्ड सं0-04, ग्राम-कोचैली, पंचायत-तौली, प्रखण्ड-डगरूआ, जिला-पूर्णिया।
5. वार्ड सदस्य -सह- चयन समिति उपाध्यक्ष, वार्ड सं0-04, ग्राम-कोचैली, पंचायत-तौली, प्रखण्ड-डगरूआ, जिला-पूर्णिया।
6. जिला पंचायतराज पदाधिकारी, पूर्णिया।
7. बीबी रिजवाना, पति-इफ्तेखार आलम, सा0-कोचैली, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णिया।
8. वार्ड सदस्य, वार्ड सं0-05, ग्राम-कोचैली, पंचायत-टौली, प्रखण्ड-डगरूआ, जिला-पूर्णिया।

........................ विपक्षीगण

## आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के **ज्ञापांक-1450/जि0प्रो0, दिनांक-11.10.2018** के विरूद्ध दायर किया गया है। यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द्र, वार्ड सं0-04, पंचायत-टौली, परियोजना-डगरूआ** के **सेविका** पद से संबंधित है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका चयन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका 2016 के प्रावधानों के तहत् अपीलार्थी अर्हता प्राप्त एक मात्र उम्मीदवार हैं। अपीलार्थी का नाम सरकारी एजेन्सी द्वारा मैपिंग पंजी में दर्ज किया गया है। परन्तु उक्त सरकारी एजेन्सी द्वारा कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी वार्ड सं0-05 की निवासी हैं। वार्ड सं0-04 के मैपिंग पंजी पर वार्ड सं0-05 के वार्ड सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो

निरस्त करने योग्य है। अपीलार्थी का चयन सर्वोच्च अंक के आधार पर तथा वार्ड सं0-04 का स्थायी निवासी होने के आधार पर किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया है। अतएव निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

इस वाद में विपक्षी सं0-07 को निबंधित डाक द्वारा दिनांक 18.12.2018 को नोटिस निर्गत किया गया। उनके द्वारा न्यायालय में कई तिथियों को उपस्थिति दी गई, परन्तु कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया। फलतः दिनांक 30.07.2019 को इस वाद को एकपक्षीय सुनवाई पर रखकर कार्यवाही की गई।

इस वाद में **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 1764/जि0प्रो0 दिनांक 06.12.18** द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन का अवलोकन किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रतिवेदित है कि अपीलार्थी, उनके पति एवं ससूर का नाम प्रश्नगत वार्ड नं0-04 के मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। अपीलार्थी वार्ड सं0-05 के निवासी हैं। अपीलार्थी द्वारा संबंधित महिला पर्यवेक्षक की मिलीभगत से जिला पंचायतराज पदाधिकारी, पूर्णिया के जाली हस्ताक्षर एवं मुहर का प्रयोग कर वार्ड सं0-04 का फर्जी मतदाता सूची प्रस्तुत किया गया था। फलतः अपीलार्थी के चयन को निरस्त कर दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजातों, उनके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन, प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपीलार्थी संबंधित वार्ड के निवासी नहीं हैं। फलतः विभागीय मार्गदर्शिका 2016 के आलोक में चयन की योग्यता नहीं रखते हैं।

अतः **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 1450/जि0प्रो0 दिनांक 11.10.2018** में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु **बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डगरूआ तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

**लेखापित एवं संशोधित**

**जिला पदाधिकारी,**
**पूर्णिया।**

**जिला पदाधिकारी,**
**पूर्णिया।**